

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग-2

संख्या- /XII(2)/2015/90(21)2013

दिनांक देहरादून 03 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-222/दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा जारी/परिचालित की गयी जिला पंचायतों में मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में निर्धारित समयान्तर्गत 18 कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन/आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत करते हुए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग (यथा संशोधित) नियमावली-1995 के नियम-21(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)के अधीन जिला पंचायतों में मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं की अन्तिम ज्येष्ठता संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निम्नवत प्रख्यापित की जाती है।

यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या-1768/2014 (एस0/एस0) सत्यप्रकाश कोटियाल बनाम राज्य के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

क्रम सं०	आपत्ति करने वाले कनिष्ठ अभियंता का नाम	आपत्ति/अनापत्ति	आपत्ति के निस्तारण के संबंध में टिप्पणी
1	सत्य प्रकाश कोटियाल	श्री कोटियाल द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि शासन द्वारा दिनांक 14.10.2014 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 07.12.2011 निर्धारित की गयी वह पूर्णतः गलत है, प्रार्थी का प्रकरण रिट संख्या-1768/2014 मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अतः उपरोक्त तिथि को 8.12.1989 मानते हुए वरिष्ठता सूची में स्थान निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री सत्यप्रकाश कोटियाल, का विनियमितकरण शासन के आदेश संख्या-1069/दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया है। अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत अंतिम ज्येष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
2	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि शासन द्वारा दिनांक 14.10.2014 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रम संख्या-14 पर अस्थाई घोषित किया गया है जबकि शासन के पत्र संख्या-217/दिनांक 14 मार्च, 2012 के अनुसार स्थाई घोषित किया गया है, अतः उक्त त्रुटि को संशोधित कर पदनाम के आगे स्थाई करने का अनुरोध किया गया है।	श्री पाण्डे द्वारा की गयी आपत्ति के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत ज्येष्ठता सूची में स्थायी अंकित किया जाना युक्तिसंगत है। अतः आपत्ति ग्राह्य है।
3	श्री त्रिलोक सिंह मण्डारी	श्री त्रिलोक सिंह मण्डारी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 22.02.1991 है तथा विनियमितकरण शासन के आदेश दिनांक 7.12.2011 को किया गया है। अतः मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए ज्येष्ठता सूची में क्रमांक में 02 में नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री त्रिलोक सिंह मण्डारी, का विनियमितकरण शासन के आदेश संख्या-1069/दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया है अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।
4	श्री बी०सी० छिमवाल	श्री बी०सी० छिमवाल द्वारा यह आपत्ति गयी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 27.03.1988 है तथा विनियमितकरण शासन के आदेश दिनांक 7.12.2011 को किया गया है। अतः मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए ज्येष्ठता सूची में क्रमांक में 02 में नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराय गया है कि उनके द्वारा प्राप्त जे०आर०एन० विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान द्वारा प्राप्त की है जिसको शासन के पत्र संख्या-3307/दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 द्वारा सेवा अभिलेखों में दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग नियमावली 1966 की अनुसूची के नियम 5 के क्रमांक 3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि- "सीधी भर्ती द्वारा राज्य या अर्ह अवर अभियंताओं में से जो अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित कोई अर्हता रखता हो और इस	श्री बी०सी० छिमवाल, का विनियमितकरण शासन के आदेश संख्या-1069/दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया है। अतः इस संबंध में आपत्ति ग्राह्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त श्री छिमवाल द्वारा प्राप्त बी०टैक० की उपाधि के संबंध में उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग नियमावली 1966 की अनुसूची के नियम 5 के क्रमांक 3 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर अभियंता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही के समय 10 वर्ष की ज्येष्ठता दिये जाने पर सक्षम स्तर पर विचार किया जायेगा।

J.D. 2/10

स्था 100
12-3-2015

10/3/15

		रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा परंतु किसी अवर अभियंता की जो सीधी भर्ती के लिए यथा विनिर्दिष्ट किसी उपाधि स्तर के समकक्ष कोई अर्हता रखता हो, ऐसे अवर अभियंता जिसके पास केवल डिप्लोमा हो, ऊपर 10 वर्ष की ज्येष्ठता दी जाएगी।" का प्राविधान है, अतः उसका लाम दिया जाय का अनुरोध किया गया है।	
5	श्री पान सिंह बिष्ट	श्री पान सिंह बिष्ट द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि जे0आर0एन0 विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान से सन 2012 में बी0टैक0 की उपाधि प्राप्त की है। तथा है जिसको शासन के पत्र संख्या-3307/दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 द्वारा सेवा अभिलेखों में दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग नियमावली 1966 की अनुसूची के नियम 5 के क्रमांक 3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि- "सीधी भर्ती द्वारा राज्य या अर्ह अवर अभियंताओं में से जो अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित कोई अर्हता रखता हो और इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा परंतु किसी अवर अभियंता की जो सीधी भर्ती के लिए यथा विनिर्दिष्ट किसी उपाधि स्तर के समकक्ष कोई अर्हता रखता हो, ऐसे अवर अभियंता जिसके पास केवल डिप्लोमा हो, ऊपर 10 वर्ष की ज्येष्ठता दी जाएगी।" अतः उसका लाम दिया जाय का अनुरोध किया गया है।	श्री पान सिंह बिष्ट द्वारा प्राप्त बी0टैक0 की उपाधि के संबंध में उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग नियमावली 1966 की अनुसूची के नियम 5 के क्रमांक 3 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर अभियंता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही के समय 10 वर्ष की ज्येष्ठता दिये जाने पर सूक्ष्म स्तर पर विचार किया जायेगा।
6	श्री गोविन्द सिंह मेहरा	श्री गोविन्द सिंह मेहरा द्वारा अवगत कराया गया है शासन द्वारा दिनांक 14.10.2014 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रम संख्या-13 पर अस्थाई घोषित किया गया है जबकि शासन के पत्र संख्या-217/दिनांक 14 मार्च, 2012 के अनुसार स्थाई घोषित किया गया है, अतः उक्त त्रुटि को संशोधित कर पदनाम के आगे स्थाई करने का अनुरोध किया गया है।	श्री मेहरा द्वारा की गयी आपत्ति के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत ज्येष्ठता सूची में स्थायी अंकित किया जाना युक्तिसंगत है। अतः आपत्ति ग्राह्य है।
7	श्री अनिल रावत	श्री अनिल रावत द्वारा यह आपत्ति की गयी है ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में मा0 न्यायालय में लम्बित वादों-अपील संख्या-187/14, रिट याचिका सं0-342/2014 श्याम लाल बनाम राज्य तथा रिट याचिका सं0-2414/2014 सत्य प्रकाश कोठियाल बनाम राज्य के संबंध में संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया संपन्न न हो जाय तब तक अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी नहीं की जाय का अनुरोध किया गया है।	आपत्ति ग्राह्य नहीं है। अतः प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत अंतिम ज्येष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
8	श्री प्रकाश सिंह	श्री प्रकाश सिंह द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि जो कि वर्तमान अनन्तिम ज्येष्ठता की दिनांक 08.7.2013 दर्शायी गई है उसे पूर्व प्रख्यापित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार 06.01.2003 अंकित किया जाय।	श्री प्रकाश सिंह का विनियमितकरण शासन के आदेश संख्या-1874/दिनांक 8 जुलाई, 2013 को किया गया है। अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।
9	श्री नंद किशोर	श्री नंद किशोर द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि को दिनांक 24.10.2001 मानते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित की जाय।	श्री नंद किशोर का विनियमितकरण शासन के आदेश संख्या-1874/दिनांक 8 जुलाई, 2013 को किया गया है। अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।
10	श्री अनिल डोमाल	श्री डोमाल द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता से अपनी सहमति व्यक्त की गयी है	कोई टिप्पणी नहीं।
11	श्री श्याम लाल	श्री श्याम लाल द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गयी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 28 फरवरी, 1991 है जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में मौलिक नियुक्ति की तिथि 07.12.2011 अंकित की गयी है। अतः मौलिक नियुक्ति की तिथि को 28 फरवरी, 1991 मानते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।	श्री श्याम लाल का विनियमितकरण शासन के आदेश संख्या-1069/दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया है। अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

12	श्री ईश्वर चन्द	श्री ईश्वर चन्द द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 का जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम कम संख्या-11 पर अंकित है, किन्तु ईश्वर चन्द की जगह ईश्वर चन्द्र लिखा गया है। अतः उसे संशोधित कर चन्द्र की जगह चन्द लिखा जाय।	श्री ईश्वर चन्द्र द्वारा की गयी आपत्ति के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत ज्येष्ठता सूची में ईश्वर चन्द्र की जगह ईश्वर चन्द किया जाना उचित है। अतः आपत्ति ग्राह्य है।
13	श्री रमेश चन्द्र सिंह बिष्ट	श्री रमेश चन्द्र बिष्ट द्वारा यह आपत्ति की गयी है ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के संबंध में मा0 न्यायालय में योजित वादों के अंतिम निस्तारण होने के उपरांत ही ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाय।	आपत्ति ग्राह्य है। अतः प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत अंतिम ज्येष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
14	श्री गोपाल सिंह नयाल	श्री गोपाल सिंह नयाल द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि मा0 न्यायालय में ज्येष्ठता से संबंधित वादों के निस्तारण के उपरांत तथा उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि 31.08.2001 है जिसे 08.07.2013 अंकित किया गया है। उसे दिनांक 31.08.2001 मानते हुए ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाय।	श्री गोपाल सिंह नयाल का विनियमितकरण शासन के आदेश संख्या-1874/दिनांक 8 जुलाई, 2013 को किया गया है। अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।
15	श्री दलीप सिंह नेगी	श्री दलीप सिंह नेगी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 15 पर नाम के सम्मुख अस्थाई दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी का स्थायीकरण शासन के आदेश दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा हो चुका है। अतः उनके नाम के सम्मुख स्थायी किया जाय।	श्री दलीप सिंह नेगी द्वारा की गयी आपत्ति के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत ज्येष्ठता सूची में स्थायी अंकित किया जाना युक्तिसंगत है। अतः आपत्ति ग्राह्य है।
16	श्री अनिल जोशी	श्री अनिल जोशी द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गयी है कि ज्येष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च में दायर स्पेशल अपील संख्या-187 ऑफ 2014 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2014 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाय।	कोई टिप्पणी नहीं।
17	श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी	श्री गड़कोटी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 18.12.1984 मानते हुए ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 2 पर इंगित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी का विनियमितकरण शासन के आदेश संख्या-1874/दिनांक 8 जुलाई, 2013 को किया गया है। अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।
18	श्री दलीप सिंह अधिकारी	श्री दलीप सिंह अधिकारी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि 14 अक्टूबर, 2014 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम अंकित नहीं किया गया है। जबकि इससे पूर्व वर्ष 2004-05 दिनांक 10 फरवरी, 2005 में जारी ज्येष्ठता सूची में प्रार्थी को क्रमांक 16 में दर्शाया गया है। प्रार्थी के विनियमितकरण के लिफाफे को खोलने के पश्चात ही ज्येष्ठता सूची जारी की जाय।	श्री अधिकारी की आपत्तियों पर विचार किया गया, चूंकि विनियमितकरण समिति द्वारा इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत सतर्कता अधिष्ठान द्वारा मा0 न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण विनियमितकरण समिति द्वारा विनियमितकरण के संबंध में लिफाफा बन्द किया गया है, जब तक उक्त वाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तथा विभाग द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इस प्रत्यावेदन पर नियमानुसार विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में विभाग द्वारा लिया जाने वाला निर्णय ही अंतिम होगा, इसी आधार पर इनको ज्येष्ठता सूची में रखे जाने अथवा न रखे जाने के संबंध में विचार किया जायेगा। अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

भवदीय,

(विनोद फोनिआ)

सचिव।


संख्या-3/6 /XII(2)/2015/90(21)2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
- 3-समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायतें उत्तराखण्ड।
- 5-संबंधित कार्मिक।
- 6-गार्ड फाईल।

हरबंस सिंह (मुघ)
अपर सचिव।

आज्ञा से,



(हरबंस सिंह चुघ)
अपर सचिव।

50

मान्य

कार्यालय ज्ञाप संख्या-316 / XII(2) / 2015 / 90(21)2013, फरवरी, 2015 का परिशिष्ट
जिला पंचायतों के कनिष्ठ अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

क्र० सं०	कनिष्ठ अभियन्ता का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	मौलिक नियुक्ति की तिथि	स्थायी / अस्थायी	वर्तमान तैनाती का जनपद	नियुक्ति का प्रकार (सीधी भर्ती / पदोन्नति)	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री अशोक शर्मा	15.05.1964	पौड़ी	02.12.1985	स्थायी	टिहरी	सीधी भर्ती	सामान्य	-
2.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	02.09.1963	हरिद्वार	28.09.2004	स्थायी	ऊधमसिंहनगर	सीधी भर्ती	सामान्य	-
3.	श्री पान सिंह बिष्ट	10.06.1964	नैनीताल	28.09.2004	स्थायी	हरिद्वार	सीधी भर्ती	सामान्य	-
4.	श्री गणेश कुमार मट्ट	30.06.1974	टिहरी गढ़वाल	28.09.2004	स्थायी	टिहरी	सीधी भर्ती	सामान्य	-
5.	श्री सतीश कुमार	04.06.1976	चमोली	28.09.2004	स्थायी	देहरादून	सीधी भर्ती	सामान्य	-
6.	श्री महेश कुमार	01.01.1976	मुरादाबाद	28.09.2004	स्थायी	उत्तरकाशी	सीधी भर्ती	सामान्य	-
7.	श्री अनिल जोशी	11.10.1979	पिथौरागढ़	28.09.2004	स्थायी	नैनीताल	सीधी भर्ती	सामान्य	-
8.	श्री वीरेन्द्र सिंह गुसाई	17.03.1973	पौड़ी गढ़वाल	28.09.2004	स्थायी	देहरादून	सीधी भर्ती	सामान्य	-
9.	श्री मोहम्मद जफर	30.09.1966	ऊधमसिंहनगर	28.09.2004	स्थायी	हरिद्वार	सीधी भर्ती	अ.पि.व.	-
10.	श्री संजय कुमार	02.01.1975	हरिद्वार	28.09.2004	स्थायी	हरिद्वार	सीधी भर्ती	अ.पि.व.	-
11.	श्री ईश्वर चन्द	15.12.1976	हरिद्वार	28.09.2004	स्थायी	पौड़ी गढ़वाल	सीधी भर्ती	अनु० जाति	-
12.	श्री जगदीश प्रसाद	18.12.1967	पिथौरागढ़	28.09.2004	स्थायी	अल्मोड़ा	सीधी भर्ती	अनु० जाति	-
13.	श्री गोविन्द सिंह महारा	05.01.1962	चम्पावत	14.01.2008	स्थायी	अल्मोड़ा	पदोन्नति	सामान्य	-
14.	श्री हरीश चन्द्र पाण्डे	12.06.1962	अल्मोड़ा	14.01.2008	स्थायी	बागेश्वर	पदोन्नति	सामान्य	-
15.	श्री दलीप सिंह नेगी	27.09.1965	नैनीताल	14.01.2008	स्थायी	नैनीताल	पदोन्नति	सामान्य	-
16.	श्री रमेश चन्द्र सिंह बिष्ट	05.04.1963	नैनीताल	07.12.2011	अस्थायी	नैनीताल	सीधी भर्ती	सामान्य	-

17.	श्री बी०सी० छिमवाल	16.09.1965	नैनीताल	07.12.2011	अस्थाई	ऊधमसिंहनगर	सीधी भर्ती	सामान्य	-
18.	श्री सत्य प्रकाश कोठियाल	30.03.1966	चमोली	07.12.2011	अस्थाई	बागेश्वर	सीधी भर्ती	सामान्य	-
19.	श्री त्रिलोक सिंह मण्डारी	16.11.1965	चमोली	07.12.2011	अस्थाई	रुद्रप्रयाग	सीधी भर्ती	सामान्य	-
20.	श्री श्याम लाल	10.07.1966	रुद्रप्रयाग	07.12.2011	अस्थाई	पौड़ी गढ़वाल	सीधी भर्ती	अनु० जाति	-
21.	श्री अनिल कुमार रावत	15.03.1968	अल्मोड़ा	07.12.2011	अस्थाई	अल्मोड़ा	सीधी भर्ती	सामान्य	-
22.	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	08.05.1971	रुद्रप्रयाग	09.10.2012	अस्थाई	रुद्रप्रयाग	पदोन्नति	सामान्य	-
23.	श्री अनिल डोमाल	25.04.1969	पौड़ी	09.10.2012	अस्थाई	पौड़ी गढ़वाल	पदोन्नति	सामान्य	-
24.	श्री मोहन चन्द्र गड़कोटि	09.10.1964	चम्पावत	08.07.2013	अस्थाई	पिथौरागढ़	सीधी भर्ती	सामान्य	-
25.	श्री गोपाल सिंह नयाल	10.04.1975	नैनीताल	08.07.2013	अस्थाई	नैनीताल	सीधी भर्ती	सामान्य	-
26.	श्री प्रकाश सिंह	18.06.1967	चम्पावत	08.07.2013	अस्थाई	चम्पावत	सीधी भर्ती	सामान्य	-
27.	श्री नन्द किशोर	01.06.1978	चम्पावत	08.07.2013	अस्थाई	चम्पावत	सीधी भर्ती	सामान्य	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]